



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

CENTRAL HINDI DIRECTORATE

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM

नई दिल्ली/NEW DELHI-110066

दिनांक/DATED:

06.08.2020

तार : राजभाषा

Tele : Rajbhasha

फोन/Phone : 26178454, 26105211

26105213, 26105214, 26105243

26105312, 26105245, 26105526

फैक्स/Fax : 26100758, 26103160

26102575

www.hindinideshalaya.nic.in

सेवा में,

.....

विषय:- कार्यालय की स्टॉफ कार की नीलामी होने के कारण कार्यालय के अधिकारियों को सरकारी कार्य के लिए प्राइवेट टैक्सी हॉयर करने का ठेके के लिए निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी।

महोदय,

कार्यालय की स्टॉफ कार की नीलामी होने के कारण कार्यालय के अधिकारियों को सरकारी कार्य के लिए प्राइवेट टैक्सी हॉयर करने का ठेका दिया जाना है। यदि आप इस कार्यालय को टैक्सी किराये पर देने के इच्छुक हैं तो अपने लेटर हैड पर सभी दरों आदि का उल्लेख निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार निविदा के रूप से भरकर दिनांक 10.09.2020 को दोपहर 2:00 बजे तक सील बंद लिफाफे में "निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के.परम, नई दिल्ली" के नाम भिजवाने की व्यवस्था करें। बाद में प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निविदाएं उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उप निदेशक (प्रशा.) के कक्ष में खोली जाएंगी। निविदा की नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. निविदाएं सील बंद लिफाफे में होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर "निदेशालय के सरकारी कार्य के लिए प्राइवेट टैक्सी हॉयर करने के ठेके के लिए निविदाएं" लिखा होना चाहिए।
2. आपके द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकृति होने के उपरांत कम से कम एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
3. प्रशासनिक अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। कार्य संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में उन्हें अधिकार होगा कि वे इस ठेके को बिना कोई कारण बताए आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से रद्द कर सकते हैं।
4. आपको सूचना देने के उपरांत आप तुरंत कार्यालय में संपर्क करने के लिए बाध्य होंगे।

आप उपरोक्त नियम व शर्तों के अनुसार बाध्य होंगे तथा किसी प्रकार की शिकायत का मौका न देने की स्थिति में कार्य करें।

भवदीया,

(रीता देव)

प्रशासनिक अधिकारी

1. वैबसाइट पर अपलोड करवाने के लिए उप निदेशक (वैबसाइट) को आवश्यक कार्रवाई हेतु।